**राजस्थान सरकार**
**परिवहन विभाग**

क्रमांक : एफ 7 (51) परि/नियम/मु0/2009/15254 जयपुर, दिनांक : 17/12/12

**<u>कार्यालय आदेश संख्या 23/2012</u>**

विषय :– तैयारशुदा ड्राईविंग लाईसेंस एवं पंजीयन प्रमाण पत्र के वितरण के संबंध में।

परिवहन विभाग में ड्राईविंग लाईसेंस एवं पंजीयन प्रमाण पत्र जारी करने संबंधी प्रक्रिया की समीक्षा करने के बाद कार्यालय आदेश संख्या 20/2012 दिनांक 25.10.2012 जारी किया जाकर समस्त जिला परिवहन अधिकारियो को निर्देशित किया गया था कि यदि आवेदक चाहे तो आवेदन पत्र के साथ स्वयं का पता लिखा हुआ, रजिस्टर्ड डाक शुल्क के टिकट लगा हुआ लिफाफा संलग्न करे एवं ऐसे आवेदक के तैयारशुदा लाईसेंस डाक द्वारा प्रेषित किए जावे।

उक्त आदेशों की क्रियान्विति की समीक्षा करने पर पाया गया कि संभवतया आदेशों के समुचित प्रचार प्रसार के अभाव में उक्त व्यवस्था का लाभ आमजन तक नहीं पंहुच पाया है। उल्लेखनीय है कि वर्तमान प्रक्रिया के तहत तैयारशुदा ड्राईविंग लाईसेंस/पंजीयन प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदक को अगले कार्य दिवसों में पुनः परिवहन कार्यालय आना पडता है, इससे आवेदक के श्रम एवं धन की हानि होती है। साथ ही किसी मध्यस्थ द्वारा भी आवेदक की ओर से लाईसेंस/पंजीयन प्रमाण पत्र प्राप्त करने की संभावना भी उत्पन्न होती है। तैयारशुदा लाईसेंस/पंजीयन प्रमाण पत्र किसी ओर व्यक्ति द्वारा ले जाने एवं आवेदक तक न पहुंच पाने की शिकायतें भी कई बार प्राप्त होती रहती है।

अतः कार्यालय आदेश संख्या 20/2012 दिनांक 25.10.2012 की निरंतरता में, आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए सभी प्रादेशिक परिवहन अधिकारी/जिला परिवहन अधिकारियो को निम्नांकित निर्देश प्रदान किए जाते है :–

1. दिनांक 01.01.2013 एवं इसके उपरांत ड्राईविंग लाईसेंस एवं वाहन पंजीयन हेतु प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों के साथ आवेदक का पता लिखा हुआ, रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट शुल्क के टिकट लगा हुआ लिफाफा अनिवार्य रूप से प्राप्त किया जावें।
2. आवेदक द्वारा आवेदन पत्र में लिखा गया निवास का पता, निवास प्रमाण स्वरूप संलग्न किए गए दस्तावेज, तैयार किए गए लाईसेन्स/पंजीयन प्रमाण पत्र में अंकित पता एवं प्रस्तुत लिफाफे पर अंकित पता एक समान है या नही, इस तथ्य की सर्तकता पूर्वक जांच की जावें।
3. तैयारशुदा ड्राईविंग लाईसेंस/पंजीयन प्रमाण पत्र रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट द्वारा अनिवार्य रूप भिजवाने की व्यवस्था की जावें। इस कार्य हेतु पोस्ट एवं टेलीग्राफ विभाग के स्थानीय अधिकारियो से तालमेल कर जनसाधारण की सुविधार्थ डाक विभाग का एक काउंटर परिवहन कार्यालय परिसर में स्थापित करवाने का प्रयास भी किया जावें।

4. इस व्यवस्था के तहत प्रतिदिन प्रेषित किए गए ड्राईविंग लाईसेंस/पंजीयन प्रमाण पत्रों की सूची, कार्यालय परिसर में सदृश्य स्थल पर, जन सामान्य की सूचनार्थ प्रदर्शित की जावे। उक्त सूची लगातार (न्यूनतम) 7 दिवस तक प्रदर्शित की जावे, साथ ही उक्त सूची कार्यालय में स्थापित "में आई हेल्प यू", (हैल्प डेस्क) पर भी उपलब्ध रखी जावें, जहां जानकारी चाहने वाले अभ्यर्थियों को अविलम्ब सूचना प्रदान किए जाने की व्यवस्था की जावें।

5. इस व्यवस्था का व्यापक प्रचार प्रसार, स्थानीय समाचार पत्रों, स्थानीय टी. वी. चेनल्स के माध्यम से जनसाधारण की सूचनार्थ किया जावे। समस्त परिवहन कार्यालयों के नोटिस बोर्ड पर भी व्यवस्था की सूचना चस्पा की जावे एवं कार्यालयों में स्थापित हैल्प डैस्क के माध्यम से अभ्यार्थियों को सूचित किया जावे ताकि उक्त व्यवस्था की जानकारी आमजन को प्राप्त हो सके।

6. सभी प्रादेशिक परिवहन अधिकारियो द्वारा व्यक्तिगत रूप से उक्त व्यवस्था का पर्यवेक्षण किया जाकर क्रियान्विति पूर्णरूपेण सुनिश्चत की जावे एवं मुख्यालय को समय-समय पर रिपोर्ट प्रेषित की जावें।

उपरोक्त व्यवस्था दिनांक 01.01.2013 से आवश्यक रूप से प्रारम्भ की जानी है। इस कार्य में शिथिलता बरतने वाले कर्मचारी/अधिकारी के विरूद्ध आदेशों की अवहेलना स्वरूप आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

परिवहन आयुक्त
एवं अति० मुख्य सचिव

DSR/Rules/Letter/hindi letter